

प्रेस नोट दिनांक 15.04.2021

जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्र०नि० शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.04.2021 को ग्राम रमवापुर तिवारी ग्राम सभा बगहवा में उ०नि० अभिमन्यु सिंह, चौकी प्रभारी खुनुवा थाना शोहरतगढ़, सि०नगर के दौरान क्षेत्र भ्रमण प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुये बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लिये सरकारी बिजली के खम्भे पर प्रधानी से सम्बन्धित पोस्टर लगाया जाना पाया गया। जिस पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नं०- 63/21 धारा- 171 एच भा०द०वि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवरण अभि० -

कुदरत अली पुत्र जाकीर हुसेन नि० मधवापुर, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।